

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवान)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :- संजना जोशी आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :-036/2024

1. रणवीर पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट साकिन जाखड़ावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. बालकृष्ण पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट साकिन जाखड़ावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

- - वादीगण

-:: **बनाम** ::-

1. ओमप्रकाश पुत्र फूसाराम जाति जाट साकिन जाखड़ावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. सरोज पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट साकिन जाखड़ावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. माया देवी पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट साकिन जाखड़ावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

- - प्रतिवादीगण

अन्तर्गत धारा :- 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

निर्णय दिनांक :- 15/02/24

वादीगण की ओर से श्री हीरालाल बिरथलिया अधिवक्ता, प्रतिवादीगण की ओर से श्री बलवीर मोयल अधिवक्ता इस वाद मे आज दिनांक को संजना जोशी ^{आर.ए.एस.} उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे वर्णित चक 11 जेड.डब्ल्यू.डी. के खाता सं. 6 के प.नं. 91/367, 91/368 कुल 9.995 हैक्. कमाण्ड अ.क. मे से प्रतिवादी सं. 1 के नाम वर्णित 6782/29985 हिस्सा मे से 1.518 हैक्. कृषि भूमि का वादीगण को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई रथगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होने की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसे किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 15/02/24 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Sanjana
15/2/24

(संजना जोशी)

उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा